न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्याायलय– प्रथम, बरेली
उपस्थित– रवि कुमार दिवाकर(एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण सं0 759/2012
राज्य बनाम शहजादे
मु0अ0सं0 519/2010
अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153क, 295 भा0दं0सं0
एवं धारा 7 क्रि0ला0ए0एक्ट तथा धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली।

दिनॉक 05.03.2024

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

अभियुक्तगण रिजवान, दानिश, राजू, हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत। न्यायहित में अंतिम अवसर के साथ स्वीकृत।

अभियुक्तगण बाबू खॉ, आरिफ, अमजद अहमद, निसार अहमद, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर अनुपस्थित हैं। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण जरिये एन0बी0डब्लू0 तलब हों।

शेष अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

गवाह पी0डब्लू0–13 सुभाष चन्द यादव विवेचक न्यायालय के समक्ष बयान कराने हेतु उपस्थित हैं। अतः मैं दण्ड प्रकिया संहिता, 1973, की धारा 309(2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये गवाह पी0डब्लू0–13 सुभाष चन्द यादव का बयान अंकित करवाता हूॅ।

मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में मुकदमा अपराध सं0 519/2010 धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153क, 295 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रि0ला0ए0एक्ट तथा धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली दिनॉकित 02.03.2010 को वादी मुकदमा करन सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रेमनगर, जिला बरेली के द्वारा 178 नामदर्ज एवं हजारों अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने से यह भी स्पष्ट है **कि एक धार्मिक समुदाय के लोग आगजनी, ईट–पत्थर एवं हथियारों के साथ बरेली जनपद की शान्ति व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर रहे थे। बरेली में उपद्रव होने के कारण मौके पर तत्कालीन ए0डी0एम0 सिटी, बरेली श्री राममोहन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट श्री मनोज कुमार सिंह व एस0पी0सिटी श्री राकेश जौली भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बलवाईयों पर जो कि यह नारा लगा रहे थे, नारा–ए– तकवीर व अल्लाह हो अकबर और कह रहे थे कि मार डालो, काट डालो। उपरोक्त प्रकरण में क्षेत्राधिकारी ऑवला श्री पी0एस0 पाण्डेय व एस0ओ0 भमौरा श्री राजेश कुमार तिवारी व अन्य पुलिस कर्मचारियों के भी चोटें आयीं थीं। प्रश्नगत मामले की गम्भीरता को देखते हुये तत्कालीन जिलाधिकारी, बरेली के द्वारा क्षेत्र में क्र्फ्यू लगा दिया गया था और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गयी थी। प्रस्तुत प्रकरण को बरेली के आम लोग इसे बरेली दंगा 2010 के नाम से जाने जाते हैं।**

न्यायालय के द्वारा **केस डायरी के पर्चा सं0 5** का अध्ययन किया

गया। केस डायरी के पर्चा सं0–5 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि **दिनाकित 02.03.2010** को इस घटना में **मोहम्मद तौकीर रजा उर्फ रजा, निवासी बरेली आई0एम0सी0 अध्यक्ष** अपनी पार्टी के लोगों के साथ घटनायें वारदात पर पहुॅच गये। **मोहम्मद तौकीर रजा,** निवासी बरेली आई0एम0सी0 अध्यक्ष द्वारा **पुलिस प्रशासन को तथा हिन्दुओं को यह कह कर ललकारा गया कि अभी आधे घंटे में चाहबाई से जलूस को जाने ना दिया गया, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिन्दुओं की खून की नदियॉ बहा दूॅगा। हिन्दुओं के घर व दुकान को तहस–नहस कर आग के आगे हवाले कर दूॅगा।**

केस डायरी के पर्चा संख्या 6 को देखने से स्पष्ट है कि **मोहम्मद तौकीर रजा, निवासी बरेली आई0एम0सी0 अध्यक्ष** को दंगे का मुख्य साजिशकर्ता पाये जाने के कारण उसे भा0दं0सं0 की धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 152क, 295 एवं धारा 7 सी0एल0एक्ट तथा धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

साक्ष्य की परिभाषा में विवेचनाधिकारी द्वारा एकत्रित की गयी सामग्री भी आती है।

गवाह पी0डब्लू0–3 राम निवास शर्मा ने न्यायालय के समक्ष अपने बयानात में सशपथ यह कहा कि चाहबाई में जलूस के रास्ते को लेकर तनाव व पथराव हो गया, तो उक्त लोगों को काफी समझाया और वहीं पर सूचना मिली कि जुलूस में आये लोग जो कोहाड़ापीर पर इकट्ठा हैं झगड़ा करने पर आमादा है। हम लोग कोहाड़ापीर तिराहे पर आये, वहॅा पर लोगों में काफी आक्रोश था। करीब पौने तीन बजे **मौलाना तौकीर रजा, अपनी गाड़ी से कोहाड़ापीर पर आये। वहॅा पर अफवा फैल गयी कि तौकीर रजा ने दंगा भड़काया है।**

अतः गवाह पी0डब्लू0–3 राम निवास शर्मा के बयानात से स्पष्ट है कि मौलाना तौकीर रजा की तकरीर के बाद बरेली शहर में दंगा फैल गया।

गवाह पी0डब्लू0–4 ताहिर हुसैन, तत्कालीन चौकी प्रभारी छावनी अशरफ खॉ, थाना प्रेमनगर, बरेली ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान किया कि **दिनांक 02.03.2010 को ईदमिलाद उल नवी (बारावफाद)** का जलूस शहर में था, जिसका मंच कोहाड़ापीर पर बना था। समय करीब 03:00 बजे से मौलाना लोग ने तकरीर शुरू की थी। उसकी ड्यिूटी अपने क्षेत्र की अंजुमन को कोहाड़ापीर तक लाने की लगी थी।

वह इस बीच कई बार मंच की ओर आया था और मौलाना लोगों की तकरीर सुनी थी। उसे इस समय याद नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा ने क्या तकरीर की थी। वह ड्यिूटी के कारण पूरा सुन नहीं सका था। फिर उसके कुछ समय बाद जूलुस में दंगा भड़क गया।

अतः गवाह पी0डब्लू0–4 ताहिर हुसैन के बयानात से स्पष्ट है कि मौलाना तौकीर रजा की तकरीर के बाद बरेली शहर में दंगा फैल गया।

पी0डब्लू0–13 सुभाष चन्द यादव, विवेचक ने न्यायालय के समक्ष अपने बयानात में सशपथ यह कहा कि दिनॉक 07.03.2010 को पर्चा सं0 5 किता किया, जिसमें गवाह एस0आई0 श्री रामचरित पाण्डेय, थाना प्रेमनगर, बरेली के बयान अंकित किये, जिन्होंने एफ0आई0आर0 का समर्थन करते हुये बताया कि **दिनॉक 02.03.2010 को जूलुस –ए–मोहमदी** में कोहाड़ापीर क्षेत्र में ड्यिूटी थी। इस जूलुस में बरेली क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों एंव आस–पास के गॉवों से अंजूमने अलग–अलग रास्ते से कोहाड़ापीर पर आते हैं। जहॅा से सभी अंजूमने सभी एक बड़े जूलुस की शक्ल में कुतुबखाना होते हुए कोतवाली की ओर आते हैं। उसी दिन

करीब 02:30 बजे दिन गुलाब नगर की ओर से आने वाले कुछ अंजूमनों को उनके साथ आने वाले लोगों ने मोहल्ला चाहबाई में होकर गैर परम्परागत मार्ग से अंजूमनों को निकालने का प्रयास किया, जिसका उस क्षेत्र के हिन्दू समुदाय के लोगों ने विरोध किया था, जिसके कारण दोनों पक्षों में पथराव हुआ था, जिसकी सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुॅचे तथा झगड़े को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान कोहाड़ापीर पर तिराहे पर बने मंच पर **इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खॉ पुत्र स्व0 रेहान रजा खॉ, निवासी मोहल्ला सौदागरान बरेली मंच** पर आकर तकरीर करने लगा तथा कहा जूलुस में मौजूद **पुलिस एवं प्रशासन के अफसरान कान खोलकर सुन लें कि गुलाब नगर की ओर से आने वाले जुलुस को चाहबाई से होकर गुजरनें दें, नहीं तो मैं जूलुस के आगे चलकर हिन्दुओं की छाती पर चढ़कर जुलूस को गुजारूंगा, व आधा घंटे का समय देता हूॅ, नहीं तो जूलुस को चाहबाई में ही होकर गुजारूंगा, चाहें मुझे खून की नदियॉ ही क्यों न बहानीं पड़ें। यदि प्रशासन ने जूलुस को इस रास्ते से नहीं गुजरने दिया, तो वह अपने मुस्लिम भाईयों को साथ लेकर हिन्दुओं के मोहल्ले में चढ़ जाऊॅगा तथा उनके मकान व दुकानों को तहस नहस कर जलाकर राख कर दूॅगा। इसके बाद मौलाना तौकीर इन्हीं बातों को दोहराते हुए चेतावनी देते रहे। इन उत्तेजनात्मक बातों से मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्तेजना फैलती रही। करीब 20–25 मिनट बाद मौलाना तौकीर रजा ने अपनी उक्त बातों को उग्रता से दोहराया, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्तेजना फैल गयी। तौकीर रजा की तकरीर के दौरान वह चौकी कोहाड़ापीर के पास खड़ा होकर उन्हें देखता व सुनता रहा। मौलाना तौकीर की उक्त अति उत्तेजनात्मक एवं वैमनस्य को प्रोत्साहित करने वाली बातों को सुनकर मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों में उत्तेजना फैल गयी तथा यह लोग उग्र लोगों की टुकड़ियॉ बनाकर हिन्दुओं को मारो–मारो काटो–काटो की तेज आवाज करते हुये अपने हाथों में पहले से ली गयी लाठी, तलवारें, नाजायज तमंचों से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुये हिन्दु समुदाय के व्यक्तियों तथा पुलिस प्रशासन के ड्यिूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे, जिससे भय व आंतक का माहोल फैल गया तथा अफरा तफरी फैल गयी। ऐसे माहोल में आस–पास के दुकानदार अपनी–अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे, तो उन लोगों ने अपने हाथों में लिये लोहे के सरियों आदि से हिन्दुओं की दुकानों के शटर ताले तोड़कर पहले से लिए एक–एक लीटर के छोटे सिलेण्डरों तथा कॉच की बोतलों में भरे दूषित ज्वलनशील पदार्थ को हिन्दु समुदाय की दुकानों में तोड़ फोड़ करते हुए आग लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसे भी पीटने को दौड़े, तो उसने भागकर जान बचाई। जूलुस में शामिल लोगों के हाथों में पहले से तलवारे, तमंचे, छोटे गैस सिलेण्डर, एक दो लीटर की बोतलों में ज्वलनशील द्रव्य पहले से मौजूद थे, जिससे प्रतीत होता है कि बलवायी ने योजनाबद्ध तरीके से यह बलवा किया था तथा चौकी कोहाड़ापीर में घुसकर परिसर में रखी मोटर साईकिल व रिकार्ड को आग लगा दी तथा मंदिर की मूर्तियॉ तोड़ दीं। यह दंगा मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीर के बाद शुरू हुआ था।**

दंगे के दौरान उसने दंगे में शामिल कलीम पुत्र रफी अहमद, निवासी पटे की बजरिया, आदिल पुत्र सगीर, निवासी पटे की बजरिया, नईम उर्फ भईये पुत्र हिमाकत, निवासी ब्रहमपुरा, इमरान पुत्र ताहिर, निवासी ब्रहमपुरा, जाबिर पुत्र इसरार, निवासी बालमीकि बस्ती, दीनू उर्फ अब्दुल शोएब पुत्र अब्दुल शमीम, निवासी बानखाना, कमर ठेकेदार, इफ्तेकार कुरैशी आई0एम0सी0 कार्यकर्ता,

आजमनगर, मकबूल मोटर साईकिल मैकेनिक, स्टेशन रोड, बरेली, राजा पुत्र अनवार, निवासी आजमनगर, जाकिर खॉ पुत्र निद्दू खॉ, निवासी ख्वाजा कुतुब, निवासी कोतवाली भी शामिल थे, जिन्हें पहचानना बताया था।

उसी दिन गवाह धर्मेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह, निवासी आवास विकास कालोनी, राजेन्द्र नगर के बयान अंकित किये, जिन्होंने बताया कि उसकी कोहाड़ापीर के पास दुकान है। दिनॉक 02.03.2010 को वह अपनी दुकान पर था। उस दिन हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह जूलुस निकालने की तैयारी चल रही थी। ये जूलुस पूरे शहर से अंजूमनों ने आकर कोहाड़ापीर पर इकट्ठा होकर जूलुस की शक्ल में कुतुब खाने की ओर जाते हैं। उन्होंने एस0आई0 आर0सी0पाण्डेय के बयानों का समर्थन करते हुये बताया कि जिला क्षेत्र की ओर से आने वाली कुछ अंजुमने मोहल्ला चाहबाई के हिन्दू इलाके से होकर गैर परम्परागत मार्ग से निकालने का प्रयास किया था, जिससे हिन्दू मुस्लिम पक्षों में झगड़ा व पथराव हुआ। **इसके बाद करीब दिन के 02:30 बजे कोहाड़ापीर तिराहे के पास बने मंच पर मो0 तौकीर रजा ने आकर उग्र भाषा में भाषण दिया तथा प्रशासन को चाहबाई के हिन्दू इलाके से अंजूमने निकालने की चेतावनी दी। उनकी तकरीर सुनकर मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोग उग्र हो गये। मौलाना तौकीर की तकरीर से उग्र होकर जूलुस में शामिल मुस्लिम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट करते हुये चौकी कोहाड़ापीर मे आग लगा दी तथा चौकी में मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया। इसके बाद हिन्दुओं की दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए अपने साथ लाये गैस सिलेण्डरों व बोतलों में लाये पैट्रोल से दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया।** वह जैसे तैसे वहॉ से जान बचाकर भागा था।

इसे बाद गवाह त्रिलोचन सिंह पुत्र सरदार रत्न सिंह, निवासी सूरजमुखी स्कूल के सामने दुर्गानगर, थाना बारादरी, बरेली ने बताया कि उसकी कोहाड़ापीर के पास पूरन बैट्री के नाम से बैट्री की दुकान है। दिनॉक 02.03.10 को वह अपनी दुकान पर मौजूद था। उस दिन हर साल की तरह हजरत मोहम्मद साहब पैगम्बर की पैदाइश पर पूरे शहर व आस–पास इलाके से हर साल की तरफ अनजूमनें आ रही थीं, जिन्हें जूलुस में इकट्ठा होकर कोतवाली की तरफ जाना था, इसी दौरान खबर आयी थी कि अलखनाथ की ओर आने वाली कुछ अंजूमनों को मुस्लिम समुदाय के लोग गैर परम्परागत मार्ग से चाहबाई के हिन्दू मोहल्लों से गुजरने का प्रयास कर रहे थे, जिसका वहॉ के हिन्दू लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। **इसी दौरान करीब 2–2:30 बजे थे कोहाड़ापीर तिराहे के मंच पर मौलाना तौकीर रजा खॉ आये थे तथा पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए अंजूमनों को चाहबाई से निकालने की चेतावनी दी। उनकी भाषा बहुत उग्र थी। वह मंच से लगातार प्रशासन को चेतावनी दे रहे थे। यदि आधे घण्टे में अंजूमनें चाहबाई से नहीं गुजरीं, तो मैं, तौकीर रजा अपने मुस्लिम भाईयों को साथ लेकर जूलुस के आगे चलकर अंजुमनें हिन्दुओं से निकालूॅगा, इसके लिए जरूरत पड़ी, तो वह हिन्दूओं के खून की नदियॉ बहा देगा।**

तौकीर की उपरोक्त बातों को सुनकर मौके पर मोजूद मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत उत्तेजित होकर शोर शराबा करते हुये शासन व प्रशासन व हिन्दुओं के साथ मारपीट करने लगे। उन लोगों ने चौकी कोहाड़ापीर में घुसकर चौकी में खड़ी मोटर साईकिल व अन्य सामान को जला दिया व चौकी में बने मंदिर की मूर्तियॉ तोड़ दीं। जूलुस में शामिल लोगों ने कोहाड़ापीर के पास बने हिन्दुओं के मकान व दुकानों में तोड़–फोड़ करते हुये आग लगाना शुरू कर दिया,

तो वह वहॉ से जान बचाकर भागा।

इसके बाद गवाह प्रदीप कुमार पुत्र आर0बी0अग्रवाल, निवासी नई बस्ती, थाना प्रेमनगर, बरेली ने गवाह एस0आई0 रामचरित पाण्डेय के बयानों का समर्थन करते हुये बताया कि उसकी कोहाड़ापीर के पास नैनीताल रोड पर पर प्रदीप साईकिल स्टोर के नाम से दुकान है। दिनांक 02.03.2010 को वह अपनी दुकान पर मौजूद था। उस दिन हर साल की तरह पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के मौके पर बरेली शहर व आस–पास के क्षेत्रों से मुस्लिम समुदाय के लोग अंजूमनें लेकर कोहाड़ापीर पर आ रहे थे। जहॉ से इकट्ठा होकर अंजूमनों को जूलुस की शक्ल में कुतुबखाना की ओर आना था। उस दिन दोपहर 02:30 बजे उसने सुना कि गुलाब नगर की ओर से आने वाली कुछ अंजूमनों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गैर परम्परागत मार्ग से होकर चाहबाई से हिन्दू मोहल्ले से होकर गुजारने का प्रयास किया, जिस पर वहॉ के हिन्दू लोगों ने विरोध किया। झगड़ा होने पर मौके पर पुलिस पहुॅच गयीं।

कोहाड़ापीर तिराहे के पास बने मंच पर करीब 2:30– 3:00 बजे मंच पर मौलाना तौकीर रजा आये तथा बहुत उग्र भाषा में भाषण देने लगे। मौलाना तौकीर की भाषा बहुत उग्र थी। वह लगातार शासन प्रशासन को धमकी देते हुये अंजूमनों को हिन्दू इलाके से गुजरने की चेतावनी देते रहे तथा शासन प्रशासन को धमकी देते हुए कह रहे थे, यदि आधे घंटे के अंदर अंजूमनें वहॉ से नहीं निकलीं, तो वह अपने मुस्लिम भाईयों के साथ आगे चलकर हिन्दुओं की छाती पर चढ़कर अंजूमनें निकालूॅगा, चाहें इसके लिए खून की नदियॉ क्यों ना बहानी पड़े ।

मौलाना तौकीर के भाषण को सुनकर मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही उत्तेजित होकर व हिन्दुओं के खिलाफ भड़काऊ शोर शराबा करते हुए हाथों में लिए तलवार, लाठी–डण्डे व तमंचों पुलिस प्रशासन के लोगों से मारपीट करने लगे तथा चौकी कोहाड़ापीर में घुसकर चौकी में खड़ी मोटर साईकिलों व अन्य सामान में आग लगा दी तथा चौकी में बने मंदिर की मूर्तियॉ तोड़ दीं। इसके बाद शोर करते हुए हिन्दुओं के मकान दुकानों में तोड़फोड़ करते हुये आग लगाना शुरू कर दिया। वह डर के वहॉ से भाग गया था। जूलुस में शामिल लोगों ने उसकी दुकान में भी तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी, जिससे दुकान का सभी सामान जलकर राख हो गया। उपरोक्त गवाहों के बयानों के आधार पर मो0 तौकीर रजा, कलीम, आदिल, नईम उर्फ भईये, इमरान, जावेद, दीनू उर्फ अब्दुल सोएब, कमर ठेकेदार, इफ्तेखार कुरैशी, राजा मकसूद मोटर साइकिल मैकेनिक प्रकाश में आये।

दिनॉक 08.03.2010 को पर्चा नं0 6 किता किया गया, जिसमें मौलाना तौकीर रजा खॉ को गिरफ्तार किया गया, बयान अंकित किये व माननीय न्यायालय में पेश किया।

दिनॉक 09.03.2010 को पर्चा नं0–7 किता किया गया, जिसमें घटना में घायल पुलिस कर्मियों जिला अस्पताल से घायलों की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर पुलिस कर्मी राजीव कुमार सिंह, पुलिस लाइन, बृजेश सिंह पुलिस लाइन, बलवीर सिंह पुलिस लाइन, डी0एस0पी0 पी0एस0पाण्डेय, राजेश कुमार तिवारी एस0ओ0, भमौरा, राहुल कुमार, थाना भमौरा, मो0 याकूब एस0पी0सिटी आफिस के मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त कर नकल की गयी। इसके बाद थाना प्रेमनगर जाकर ड्यिूटी चार्ज देखकर घटना स्थल के आस–पास ड्यिूटीरत कां0 बुद्धपाल सिंह, थाना प्रेमनगर व कां0 बच्चू सिंह के बयान अंकित किये गये। कां0 बुद्धपाल सिंह ने बताया कि दिनॉक 03.02.2010 को उसकी ड्यिूटी कोहाड़ापीर के पास थी।

करीब ढाई बजे दिन सुनने में आया कि कुछ अंजूमनें गुलाब नगर होकर गैर परम्परागत मार्ग से मोहल्ला चाहबाई होकर मुस्लिम समुदाय द्वारा निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हिन्दू मुस्लिम समुदाय में तनाव पैदा हो गया । करीब 02:30 बजे दिन कोहाड़ापीर पर बने मंच पर **आई0एम0सी0 के अध्यक्ष तौकीर रजा** आये और भाषण देना शुरू कर दिया। तौकीर का भाषण कड़ी ऊर्दू भाषा में था, जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उनके भाषण का सार यह था कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी अंजुमनों को गुलाबनगर आने दें। उन अंजूमनों को यहॉ आकर आने का हक है और जब तक यह अंजूमनें यहॉ नही आयेगी, तब तक जूलुस आगे नहीं बढ़ेगा। यदि पुलिस प्रशासन अंजूमनों को गुलाब होकर नहीं आया, तो वह अंजूमनों को आगे –आगे चलकर यहॉ लाऊंगा, चाहें इस पर जान ही कुर्बान न हो जाये। वह इन बातों को बार–बार दोहरा रहे थे, जिससे हिन्दू व मुस्लिम परिवारों के बीच वैमनस्य बढ़ रहा था।

समय करीब 03:30 बजे सुर्खा बानखाना की ओर से 200–250 लोगों की भीड़ शोर मचाती हुयी आयी तथा फैयाज बिल्डिंग के पास चाहबाई तिराहे पर चाहबाई की ओर पथराव शुरू कर दिया। उस 70 से 80 हजार लोगों की भीड़ जूलुस मोहम्मदी में शामिल थी। पथराव शुरू होने पर चाहबाई की ओर से हिन्दुओं ने भी पथराव शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए मौके पर मौजूद सी0ओ0 आंवला, एस0ओ0 थाना भमौरा, एस0ओ0 थाना क्योलड़िया आदि ने दंगाईयों को नियन्त्रित करने की कोशिश की बल्कि भीड़ नियन्त्रित नहीं हो पायी।

तभी दंगाईयों गुदड़ बाग चाहबाई की ओर घुस गए तथा अल्लाह हू अकबर नारे लगाते हुए गैर मुस्लिमों की दुकानों में तोड़–फोड़कर आग लगा रहे थे। मुस्लिम समाज के मकान–दुकानों पर छोटे–छोटे हरे झंडे लगे थे। भीड़ जिन दुकानों व मकानों पर हरे झण्डे नहीं लगे थे। उन दुकानों में आग लगा दी।

इसके बाद पुलिस और प्रशासन बाकी बड़े अफसर बाकी फोर्स के साथ मौके पर आये तथा दंगाईयों पर आंसू गैस, रबड़ बुलेट व लाठी चार्ज करके नियन्त्रित किया था। गवाह बच्चू सिंह ने भी कां. बुद्धपाल सिंह के बयानों का समर्थन करते हुये बताया कि मौलाना तौकीर रजा ने काफी कड़ी ऊर्दू भाषा में भाषण दिया था, जिसके कारण वह भाषा को ठीक–ठीक नहीं समझ पाया था। **मौलाना तौकीर** की भाषा से हिन्दुओं में वैमनस्य तो फैला था किन्तु सुर्खा बानखाना की ओर से 200–250 लोग की भीड़ ने चाहबाई तिराहे पर दंगा शुरू कर दिया, फिर दंगा शुरू हो गया।

उपरोक्त बयानात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बरेली में जो दंगे 02.03.2010 को हुये थे, उसके मुख्य मास्टर माइन्ड इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल (आई0एम0सी0) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खॉ पुत्र स्व0 रेहान रजा खॉ, निवासी मोहल्ला सौदागरान बरेली थे।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मौलाना तौकीर रजा खॉ बरेली, बरेली की प्रमुख दरगाह आला हजरत के परिवार से संबंधित है। आला हजरत दरगाह की मुस्लिम समाज में बहुत मान्यता है। मौलाना तौकीर रजा खॉ चूँकि एक धार्मिक परिवार के धर्मगुरू की हैसियत भी रखते हैं तथा आई0एम0सी0 के अध्यक्ष भी हैं इस कारण से मुस्लिम समाज पर उनका काफी प्रभाव है।

यदि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की सीट पर बैठता है, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसा कि दार्शनिक, प्लेटो ने अपने ग्रन्थ रिपब्लिक में फिलॉस्फर किंग की अवधारणा में प्रतिपादित किया। प्लेटो ने कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा, जब तक कि दार्शनिक

राजा न हों। न्याय राजा की प्राण वायु है। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में हम न्याय शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में करते हैं, जबकि प्लेटो के समय न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के रूप में किया जाता है। अतः सत्ता का प्रमुख किसी धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग का नहीं वरन् त्याग एवं समर्पण का जीवन होता है। उदाहरण के रूप में वर्तमान समय में महान सिद्धपीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बाबा श्री योगी आदित्य नाथ जी, जो कि वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी हैं, उन्होंने उपरोक्त अवधारणा को सत्य साबित किया है।

किन्तु यदि किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त के विपरीत कार्य किया जाता है, जैसे अपने समुदाय के लोगों को भड़काना आदि, तो कानून व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाती है और दंगे होते हैं, जिसका उदाहरण मौलाना तौकीर रजा खॉ हैं।

भारतवर्ष में दंगे होने का प्रमुख कारण यह भी है कि यहॉ राजनैतिक पार्टियॉ एक धर्म विशेष के तुष्टिकरण में लगी रहती हैं, जिस कारण से उस धर्म विशेष के प्रमुख लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाता है और यह विश्वास होता है कि वह यदि दंगे आदि भी करवा देंगें, तो सत्ता संरक्षण के कारण उनका बाल भी बांका नहीं होगा।

इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोगों को न्याय पाने में भी वर्षों वर्ष लगते हैं, जिसके कारण भी दंगाईयों को एक तरफ प्रोत्साहन मिलता है कि उनके द्वारा यदि दंगे कर दिये गये या करवा दिये गये, तो न्यायपालिका से सजा मिलना लगभग असम्भव है। प्रश्नगत प्रकरण भी न्यायालय के समक्ष सन् 2010 से लम्बित है। किन्तु अभी तक मुकदमे का निस्तारण नहीं हो सका है।

इस संबंध में मैं समाज में व्याप्त भय का उल्लेख करना भी उल्लेखनीय समझता हूॅ। मेरे द्वारा वर्ष 2022 में चर्चित ज्ञानवापी प्रकरण का निस्तारण वाराणसी में किया जा रहा था, तत्पश्चात मुझे लगभग 32 पन्नों का धमकी भरा पत्र मुस्लिम संगठन की ओर से प्राप्त हुआ, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट जनपद वाराणसी में अंकित करवायी गयी थी। किन्तु अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी न होने से मेरी माता जी जो कि लखनऊ में रहती हैं तथा छोटा भाई दिनेश कुमार दिवाकर, जो कि शाहजहॉपुर में सिविल जज(सी0डि0) एफ0टी0सी0 के पद पर कार्यरत हैं, बराबर उनको मेरी सुरक्षा की चिन्ता बनी रहती है तथा मुझे उनकी।

विशेषकर मेरी मॉ मेरी सुरक्षा को लेकर इतना चिन्तित रहती है कि वह रूअंधे गले से बोल नहीं पाती है।

मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि पापा न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है कि आपको जान से मार दिया जायेगा, तो मैं उन्हें समझाने के लिए कहता हूॅ कि बेटा यह सब झूठ दिखलाया जा रहा है, तो बच्चे कहते हैं कि पापा स्कूल में हमारे दोस्त भी कहते हैं कि तुम्हारे पापा को जान से मार दिया जायेगा, इसलिए आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं।

भय इतना है कि अभी कुछ समय पूर्व मौलाना तौकीर रजा खॉ के द्वारा बरेली शहर में पुनः दंगे भड़काने का प्रयास किया गया और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध अपमानजनक बातें भी मौलाना तौकीर रजा खॉ द्वारा कही गयीं, जिसे मेरी धर्मपत्नी ने भी सुना और कहा कि जब यह व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपमान जनक बातें कह सकता है, तो वह कुछ

भी कर सकता है। बरेली में कुछ दिन पूर्व मौलाना तौकीर रजा खॉ द्वारा दंगा करवा दिया गया होता, यदि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्य नाथ जी की सरकार न होती।

मेरे परिवार एवं मुझमें डर का माहौल इस तरह से व्याप्त है, जिसे शब्दों में व्यक्त किया जाना सम्भव नहीं है। परिवार के सभी लोग एक–दूसरे की सुरक्षा को लेकर चिन्तित रहते हैं। आवास से बाहर निकलने पर कई–कई बार सोचना पड़ता है।

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जब से मेरे द्वारा ज्ञानवापी प्रकरण का फैसला दिया गया है, तब से एक धर्म विशेष के लोग एवं अधिकारीगणों का रवैया मेरे प्रति अजीब सा हो गया है, जैसे लगता हो कि मैने ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला देकर कोई पाप कर दिया हो, जबकि ज्ञानवापी प्रकरण में मैने विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दिया।

भारतवर्ष में शायद ही अभी तक कभी दंगा भड़काने वाले मास्टर माइन्ड को सजा हुयी हो।

प्रश्नगत प्रकरण में जानबूझकर दंगा भड़काने वाले मुख्य मास्टर माइन्ड मौलाना तौकीर रजा खॉ का नाम विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि तात्कालीन पुलिस अधिकारीगण एवं प्रशासनिक अधिकारीगण तथा शासन स्तर के अधिकारीगण द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया एवं दंगा भड़काने वाले मास्टर माइन्ड मौलाना तौकीर रजा खॉ का जानबूझकर सहयोग किया गया। तात्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, उप पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली, पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन, बरेली तथा तात्कालीन जिलाधिकारी, बरेली तथा तात्कालीन मण्डल आयुक्त, बरेली एवं शासन स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा विधिक रूप से कार्य न करके सत्ता के इशारे पर कार्य किया गया और अपने अधिकारिता से परे जाकर बरेली दंगा 2010 के मुख्य मास्टर माइन्ड मौलाना तौकीर रजा खॉ का सहयोग किया गया।

इस संबंध में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था घनश्याम दास बनाम भारत संघ, ए0आई0आर0 1984 एस0सी0 1004 का उल्लेख करना उचित समझता हूॅ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि अति तकनीकी आधारों पर मूलभूत न्याय का त्याग नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था मारिया मारग्रेरिडा सिक्योरियाय फर्नाडिज बनाम इरैस्मो जैक डी सिक्यूरिया, ए0आई0आर0 2012 एस0सी0 1727 का उल्लेख करना भी उचित समझता हूॅ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि न्यायाधीश प्रकरण के विचारण के दौरान केवल एक एम्पायर की तरह मूक दर्शक नहीं होता वरन् उसे सत्य की खोज करने हेतु अधिकृत किया गया है। सत्य की खोज न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का दायित्व है। प्रकरण के विचारण एवं साक्ष्य से तथ्य की खोज करे।

इस संबंध में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था मोहन लाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ, ए0आई0आर0 1991, एस0सी0 1346 का उल्लेख करना भी उचित समझता हूॅ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को केवल यह देखने हेतु पीठासीन नहीं किया गया है कि वह

विचारण के समय देखे कि कौन जीतता है या कौन पराजित होता है वरन् उसे विचारण में महत्वपूर्ण ढंग से यह देखना है कि वास्तव में सत्य क्या है? पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य व दायित्व है कि वह न्याय दान करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि न्याय ही हो, सत्य की खोज हो।

इस संबंध में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था रितेश तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 2010, एस0सी0 3823 का उल्लेख करना भी उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि वास्तव में प्रकरणों का निराकरण, पक्षकारों के विवाद का विनिश्चय का मुख्य उद्देश्य, पक्षकारों को न्याय दिलाना है, जिसका आधार है सत्य। सत्य की खोज ही प्रत्येक प्रकरण के विचारण का उद्देश्य व न्यायालय का कर्तव्य व दायित्व है। सत्य न्यायिक कार्यवाही का गाइडिंग स्टार है। प्रत्येक प्रकरण का विचारण सत्य की खोज के लिए ही किया जाता है।

उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं का सारांश यह है कि न्यायालय को न्याय एवं सत्य की खोज करना है। न्यायाधीश को न्याय एवं सत्य की खोज के लिए न्यायिक कार्यवाही में एक्टिव रोल अदा करना है। न्यायाधीश साइलेंट एम्पायर नहीं है।

वर्तमान समय में यह स्थापित विधि है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 का प्रयोग न्यायालय सू–मोटो कर सकती है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था भोलू राम बनाम पंजाब राज्य व अन्य, (2008) 9 एस0सी0सी0 140 तथा सरोज बेन अश्विन कुमार सैग बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 2011 (74) ए0सी0सी0 951(एस0सी0) में प्रतिपादित किया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचना के दृष्टिगत यह निष्कर्ष निकलता है कि इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल(आई0एम0सी0) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खॉ पुत्र स्व0 रेहान रजा खॉ, निवासी मोहल्ला सौदागरान बरेली के द्वारा मुस्लिम समाज के जन समूह में यह भाषण देकर कि मैं हिन्दूओं की खून की नदियॉ बहा दूँगा और उनके घर व दुकान को तहस–नहस कर आग के हवाले कर दूँगा तथा लूटपाट करवाऊँगा, इसके बाद बरेली में दिनॉकित 02.03.2010 को दंगे भड़क उठे और इसी अनुक्रम में लूटपाट की गयी। पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया और हिन्दूओं के घर को आगे के हवाले कर दिया गया और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया। अतः न्यायहित में अभियुक्त इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल(आई0एम0सी0) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खॉ पुत्र स्व0 रेहान रजा खॉ, निवासी मोहल्ला सौदागरान बरेली के विरूद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153ए, 295, 397, 398, सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860, धारा 7 सी0एल0एक्ट तथा धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अभियुक्त इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल(आई0एम0सी0) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खॉ पुत्र स्व0 रेहान रजा खॉ, निवासी मोहल्ला सौदागरान बरेली के विरूद्ध संज्ञान अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153ए, 295, 397, 398, सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860, धारा 7 सी0एल0एक्ट तथा धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम लिया

जाता है। अभियुक्त इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल(आई0एम0सी0) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खॉ पुत्र स्व0 रेहान रजा खॉ, निवासी मोहल्ला सौदागरान बरेली जरिये समन दिनॉक 11.03.2024 को तलब हो। समन जारी हो।

तात्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, उप पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली, पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन, बरेली तथा तात्कालीन जिलाधिकारी, बरेली तथा तात्कालीन मण्डलाआयुक्त, बरेली एवं शासन स्तर के उच्चाधिकारियों के द्वारा विधिक रूप से कार्य न कर सत्ता के इशारे पर बरेली 2010 दंगे के मुख्य मास्टर माइन्ड मौलाना तौकीर रजा का सहयोग किया गया। अतः इस आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्य नाथ जी, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(रवि कुमार दिवाकर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–प्रथम, बरेली।
05.03.2024

Digitally signed by RAVI KUMAR DIWAKAR
Date: 2024.03.05 13:09:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court